इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवाएं कक्ष
254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै–600 014

Corporate Office, Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014

असाधारण आम बैठक की नोटिस
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

बुधवार, जनवरी 31, 2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे
चेन्नै

Wednesday, the January 31, 2018 at 10.30 a.m.
at Chennai

विषयवस्तु

	पृष्ठ संख्या
सूचना	3
टिप्पणियाँ	6
प्रॉक्सी फार्म	9
उपस्थिति पर्ची	10

CONTENTS

	Page No.
Notice	11
Notes	15
Proxy Form	19
Attendance Slip	20

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

प्रधान कार्यालय : 66 राजाजी सालै, चेन्नै 600 001
कॉर्पोरेट कार्यालय : 254–260 अव्वै षण्मुगम सालै,
रायपेट्टा, चेन्नै 600014

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इंडियन बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक बुधवार, दिनांक जनवरी 31, 2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे इमेज ऑडिटोरियम, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै – 600 028 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

1. वर्तमान वर्ष या उसके बादवाले वित्तीय वर्षों के दौरान आवश्यकता के आधार पर और बैंक द्वारा निर्धारित किये जाने वाले ढंग से एफपीओ/निजी प्लेसमेंट/क्यूआईपी/साधिकार निर्गम/अधिमान्य निर्गम/ संस्थागत प्लेसमेंट कार्यक्रम के जरिये एक या उससे अधिक अंशों में 7000 करोड़ रुपए तक की ईक्विटी शेयर पूंजी (प्रीमियम राशि सहित) जुटाने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, जोकि बैंक द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 3(2बी) (सी) के अंतर्गत विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

संकल्प पारित किया गया कि बैंकिंग (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 (''विनियमन'') इंडियन बैंक सामान्य संशोधन विनियमन 2003 के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि है और / अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी और इस संबंध में शर्तें तथा संशोधन जैसे कि अनुमोदन देते समय उनके द्वारा निर्धारित किया गया हो और जिसमें निदेशक मंडल को सहमति हो और शर्तों के अधीन अर्थात्, सेबी (पूंजी जारीकरण और प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) अधिनियम, 2009 (''आईसीडीआर विनियमन''), यथा संशोधित, अद्यतन किये गये / दिषानिर्देष, यदि भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी के द्वारा अधिसूचना/परिपत्र आदि बैंकिंग अधिनियम, 1949, प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर रहनेवाले निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के निर्गम का अंतरण) विनियम 2017, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 और अन्य प्रयोज्य कानून अथवा समय समय पर अन्य संगत प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए और स्टॉक एक्स्चेंज के साथ की गई लिस्टिंग करार के शर्ताधीन, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, एतद्द्वारा शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके पश्चात इसे बोर्ड अभिहित किया जाएगा, जो कि बोर्ड द्वारा गठित किसी समिति अथवा इस संकल्प द्वारा प्राप्त अधिकार समेत उसकी शक्ति का प्रयोग करने के लिए गठित समिति को सम्मिलित करेगा) जो प्रस्ताव, जारी करने और आबंटन (फर्म आबंटन के मुद्दे पर आरक्षण के लिए प्रावधान समेत और / अथवा ऐसे भाग के प्रतियोगी के आधार पर और उस समय लागू कानून द्वारा व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के लिए अनुमति दी जा सकती है) एक प्रस्ताव अभिलेख / प्रोस्पैक्ट, मसौदा कच्ची विवरणिका, कच्ची विवरणिका, प्राथमिक प्लेसमेंट प्रलेख, प्लेसमेंट प्रलेख, प्रस्ताव का मसौदा पत्र, प्रस्ताव पत्र , निजी प्लेसमेंट पत्र अथवा ऐसा अन्य दस्तावेज भारत अथवा विदेश में बैंक द्वारा निर्धारित किये जानेवाले ढंग से आगे सार्वजनिक प्रस्ताव/निजी प्लेसमेंट/अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन/साधिकार निर्गम/अधिमान्य निर्गम/ संस्थागत प्लेसमेंट कार्यक्रम के जरिये प्रति 10 रुपये के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयर, चाहे वे बट्टाकृत हों या प्रीमियम पर जारी हों, कुल मिलाकर 7000 करोड़ रुपए (मात्र सात हजार करोड़ रुपए) के बाजार मूल्य पर, वर्तमान या परवर्ती वित्तीय वर्षों में एक या अनेक अंशों में जारी हों जोकि बैंक की अधिकृत पूंजी को उच्चतम सीमा रुपए 3000 करोड़ के बैंक की कुल प्राधिकृत निधि में से रुपए 480.29 करोड़ की मौजूदा प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ अथवा संशोधन के अनुसार अधिकृत पूंजी (यदि है), जिसे भविष्य में अधिनियम में शामिल किया जा सकता है बशर्ते कि केन्द्र सरकार हर समय बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी का 51% के नीचे धारणा नहीं करेंगे, चाहे बट्टाकृत अथवा बाजार दर के प्रीमियम, एक अथवा अधिक श्रृंखला में सदस्यों में से एक या अधिक सदस्य व बैंक के कर्मचारियों, पृथक व्यक्ति, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), कंपनियों, व्यक्तिगत व सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियां, न्यास, अनुसंधान संस्थान, योग्यता प्राप्त संस्थागत खरीददार (क्युआईबी) जैसे

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) / विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई), बैंक, वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुवल फण्ड, वेंचर पूंजी निधि, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थानों या अन्य संस्थाओं, प्राधिकारी अथवा किसी अन्य वर्ग के निवेशक, जो मौजूदा विनियमनों / दिशानिर्देषों के अनुसार उपर्युक्त पद्धतियों में से कोई भी समूह, बैंक जैसे कि उचित समझे, निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं।

पुन : संकल्प पारित किया गया कि इस इश्यू प्रस्ताव या आबंटन को, पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट या ऐसा कोई अन्य इश्यू द्वारा किया जाएगा जिसका अधिक आबंटन विकल्प सहित या बगैर, इस तरह के प्रस्ताव मुद्दे, प्लेसमेंट और आबंटन, लागू कानूनों को बैंकिंग कंपनी अधिनियम, आईसीडीआर विनियमन और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अन्य सभी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत, जोकि इस तरह के अन्य मुद्दे के माध्यम से और ऐसे समय और इस प्रकार और ऐसी शर्तें, जो बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक द्वारा उचित समझा जाए लागू किया जा सकता है।

पुनः संकल्प पारित किया गया कि उपर्युक्त मामले में, बोर्ड को इस तरीके से ऐसे मूल्य या कीमतों पर (प्रयोज्य बट्टे को सम्मिलित कर) और जहां आवश्यक हो, लीड मैनेजर या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा बोर्ड के अपने पूर्ण विवेक से आईसीडीआर विनियम, अन्य नियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के मामले में यह फैसला करने का प्राधिकार होगा कि आईसीडीआर विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित मूल्यों से कम न पडनेवाले मूल्य पर निवेशकों को शेयरों का निर्गम किया जाए, चाहे ऐसे निवेशक बैंक के मौजूदा शेयर धारक है अथवा नही।

"**पुनः संकल्प पारित किया जाता** है कि क्यूआईपी के मामले में आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार, प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अर्थ के भीतर केवल क्यूआईबी के लिए होगा, ऐसी प्रतिभूतियों का पूरी तरह से भुगतान किया जाएगा और इस तरह की प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प को पारित होने की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

"**पुनः संकल्प पारित किया जाता** है कि एक क्यूआईपी इश्यू के मामले में आईसीडीआर विनियम के नियम 85 (1) के प्रावधान के अनुसार बैंक समय–समय पर आईसीडीआर विनियम द्वारा निर्धारित शेयरों पर छूट की पेशकश करने के लिए अधिकृत है और प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तारीख आईसीडीआर नियमों के अनुसार होगी।"

"**पुनः संकल्प पारित किया जाता** है कि आरबीआई, भारत सरकार, सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों की मंजूरी, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी के अधीन अपेक्षित हो सकता है और अन्य सभी आवश्यक अनुमोदन, अनुमति, सहमति और/या संबंधित सांविधिक और अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों और ऐसे नियमों, शर्तों और आशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदनों, अनुमतियों, सहमति और मंजूरी को प्रदान करते समय उनमें से किसी के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और बोर्ड द्वारा सहमति, प्राधिकरण और अनुमोदन के अनुसार बोर्ड द्वारा प्रत्येक 10/– रुपये के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयर पर ऑफर जारी करने और आबंटित करने के लिए बोर्ड द्वारा योग्य संस्थागत खरीददारों के लिए एक संस्थागत प्लेसमेंट प्रोग्राम (आईपीपी) के माध्यम से ईक्विटी शेयरों के नये इश्यू द्वारा सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIIIए के अनुसार जनता के पास ईक्विटी शेयरों की कुल संख्या जैसा कि प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम, 1957 में परिभाषित किया गया है यथा संशोधित है, ऐसे ऑफर के पूरा होने के तुरंत बाद जो बकाया ईक्विटी शेयरों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक न हो, जो ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन की तारीख से एकसमान लाभांश पात्रता के क्लॉज के तहत लागू होगा।"

"**पुनः संकल्प पारित किया जाता** है कि बोर्ड के पास भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अपेक्षित या लगाये गए प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार और शक्ति होगी, जहां बैंक के शेयरों को सूचीबद्ध किया जाता है या उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और जारी करने की मंजूरी, आबंटन और उनके लिस्टिंग स्वीकृति देने के समय ऐसे अन्य उपयुक्त अधिकारियों और बोर्ड द्वारा सहमति के अनुसार और इस संबंध में आगे कोई अनुमोदन बैंक के शेयरधारकों से जरूरी नहीं होगी।"

"**पुनः संकल्प पारित किया जाता** है कि एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी संस्थाओं को नए ईक्विटी शेयरों को जारी और आबंटित करना, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा उसके आगे बनाये गए शर्त व विनियम के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन यथा लागू रूप से हो सकता है, तथा यह अधिनियम के तहत निर्धारित की गई समग्र सीमा के भीतर हो।"

आगे यह संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले कथित नए ईक्विटी शेयर इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1999, इंडियन बैंक सामान्य संशोधन विनियम 2003 यथा संशोधित तथा सांविधिक दिशानिर्देशों, जो लाभांश घोषणा के समय लागू हों, के अनुसार, लाभांश सहित, यदि कोई हो, हर तरह से बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समरूप रैंक में रहेंगे।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि इसके अलावा किसी भी निर्गम या ईक्विटी शेयरों के आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से, निवेशकों का वर्ग, जिसे प्रतिभूतियाँ आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि सहित सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्ते निर्धारित करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है, बोर्ड जैसा उपयुक्त समझे वैसा अपने पूर्ण निरपेक्ष विवेकानुसार करे एवं सभी ऐसे कृत्य, कार्य, मामले तथा चीजें करें तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों तथा करारों को निष्पादित करें जैसे वे उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित अथवा वांछनीय समझें और वह ऐसे किसी प्रश्नों, कठिनाइयों, संदेहों का निपटान करने के लिए अनुदेश अथवा निदेश दें जोकि सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन, निर्गम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं तथा बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विविधताओं, फेरबदल, विलोपनों, अनुवृद्धियों को इसकी शर्तों के अनुसार अपने पूर्ण विवेकाधिकार में सदस्यों के किसी भी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने एवं प्रभावी बनाने हेतु तथा इस संकल्प के जरिए, बैंक को प्रदत्त किसी या सभी शक्तियों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार में प्रयोग किया जा सकता है।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को किसी भी लीड प्रबन्धक (कों), बैंकर (रों), हामीदार (रों), निक्षेपागार (रों), रजिस्ट्रार (रों), लेखा परीक्षक (कों), तथा सभी ऐसी मध्यवर्ती संस्था (एँ)/एजेंसी जो कि इस तरह की ईक्विटी / प्रतिभूति में शामिल हैं अथवा संबन्धित हैं, के साथ ऐसी व्यवस्थाएं निष्पादित करने के लिए तथा ऐसी सभी संस्थाओं व एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क अथवा ऐसे ही किसी माध्यम से पारिश्रमिक देने हेतु तथा ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि को निष्पादित करने हेतु एतदद्वारा बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से, लीड प्रबन्धकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं तथा / अथवा बैंक द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के साथ परामर्शानुसार बोर्ड को, निवेशकों का वर्ग, जिसे प्रतिभूतियाँ आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम रकम और संबंधित या आकस्मिक मामलों, भारत में और / या विदेश में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग सहित निर्गम (मों) के रूप (आकार) व शर्तें अपने पूर्ण निरपेक्ष विवेकानुसार निर्धारित करने हेतु बोर्ड को एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

संकल्प किया जाता है कि ऐसे शेयर जो अभिदत्त न हुए हो उन्हें बोर्ड द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से (कानून द्वारा अनुमत एवं आवश्यकतानुरूप उचित समझकर) निपटाया जा सकता है।

आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतदद्वारा अपने पूर्ण विवेक से आवश्यकतानुरूप उचित समझकर वांछनीय सभी कार्य, कर्म, मामलों पर कार्रवाही करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है एवं इसके साथ ही बोर्ड, शेयर/सुरक्षा के संबंध में उत्पन्न प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान और आवश्यकतानुरूप ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामलों और मुद्दों को अंतिम रूप दे सकते हैं एवं आवश्यक सभी दस्तावेजों और लेखों को निष्पादित कर सकते हैं। शेयरधारकों से इसके लिए कोई अतिरिक्त सहमति या मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी अथवा यह समझा जाएगा कि इसके लिए शेयरधारकों ने स्पष्ट रूप से अपनी मंजूरी दे दी है।

आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतदद्वारा, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक(कों) अथवा गठित पूंजी जुटानेवाली समिति या निदेशकों की समिति को प्रदत्त, सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग या पूर्वोक्त संकल्पों को लागू करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : चेन्नै

दिनांक : दिसंबर 30, 2017

किशोर खरात

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टिप्पणियाँ

i. स्पष्टीकरण विवरण

इस बैठक के कारोबार से संबंधित भौतिक तथ्यों को देनेवाला स्पष्टीकरण विवरण इसके साथ संलग्न है।

ii. प्रतिनिधि (प्राक्सी) की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखने वाले शेयरधारक को अपने बदले बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक है और ऐसे प्रतिनिधि का, बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रतिनिधि फॉर्म के प्रभावी होने के लिए, वह बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के पास असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, जनवरी 25, 2018 को बैंक के बन्द होने के समय पर या उससे पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

iii. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति, किसी भी कंपनी या कार्पोरेट निकाय, जोकि बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने या मत देने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसको विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की, जिस बैठक में वह पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि, इंडियन बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में कंपनी सचिव, निवेशक सेवा कक्ष, विंग–2–सी, दूसरा तल, सं.254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014, के पास बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, जनवरी 25, 2018 को या उससे पहले, बैंक बंद होने के समय के पूर्व जमा नहीं करायी जाती है।

iv. उपस्थिति पर्ची – सह – प्रविष्टि पास–सह–बैलट पेपर पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची–सह प्रविष्टि पास–सह–बैलट पेपर पास को इस सूचना के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों/प्रतिनिधित्व धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व उपस्थिति पर्ची–सह–प्रविष्टि पास को बैठक के स्थान पर सौंप दें। किसी शेयरधारक के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची–सह–प्रविष्टि पास पर ''प्रतिनिधि'' या ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करेंगे। पोल के समय बैलट पेपर प्राप्त करने हेतु ऐसे प्रवेशपत्रों को अभ्यर्पित किया जाए।

v. मतदान करने के अधिकारः

अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा तत्संबंधित नए बैंक का किसी भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक पडनेवाले, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मतदान का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

उपर्युक्त के अध्यधीन, प्रत्येक शेयरधारक, जो विनिर्दिष्ट तारीख, अर्थात बुधवार, जनवरी 24, 2018 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हैं, बैंक के असाधारण आम बैठक में भाग लेने और ई–वोटिंग करने या बैठक में मतदान देने के लिए हकदार होंगे तथा उनको अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट प्राप्त होगा।

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है, तो मतदान के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को एकल धारक माना जाएगा। अतः, यदि शेयर संयुक्त शेयरधारकों के नाम में है, **तो सिर्फ प्रथम नामित व्यक्ति बैठक में भाग लेने का हकदार है और बैठक में मतदान देने का हकदार है।**

vi. ई–वोटिंग

बैंक के सभी सदस्यों को केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएँ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के जरिए विकल्प के रूप में कार्यसूची मदों के संबंध में ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने में बैंक को हर्ष हो रहा है ताकि दिनांक दिसंबर 30, 2017 की बैंक की असाधारण आम बैठक की नोटिस (ईजीएम नोटिस) में उल्लिखित संकल्प के संबंध में वे इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट दे सकें। ई–वोटिंग की प्रक्रिया को न्यायोचित एवं पारदर्शी तरीके से संयोजित करने हेतु बैंक ने श्री एस एन अनन्तसुब्रमणियन एण्ड कंपनी, कंपनी सचिव, थाणे को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ई–वोटिंग वैकल्पिक है।

इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नवत् हैंः–

इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन) 171227007 है

A. ई–मेल प्राप्त करनेवाले सदस्यों के मामले में :

i. यदि आप डीमेट रूप से शेयर धारित करते हैं और किसी कंपनी के ईवीएसएन में मतदान देने के लिए आपने कभी **www.evotingindia.com** में लॉग–आन किया है तो आपके वर्तमान लॉग–इन आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जाए।

ii. ई–वोटिंग वेबसाइट **www.evotingindia.com** में लागऑन करें।

iii. अपने वोट डालने के लिए ''शेयरहोल्डर'' टैब पर क्लिक करें।

iv. अब ड्राप डाउन मेनु से ''कंपनी नाम'' के साथ इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला नंबर – ''ईवीएसएन'' का चयन करें और ''सब्मिट'' पर क्लिक करें।

v. अब उपयुक्त बक्सों में निम्नलिखित विवरण भरें :–

	डीमेट रूप से शेयर धारित करनेवाले सदस्यों के लिए	भौतिक रूप से शेयर धारित करनेवाले सदस्यों के लिए
यूसर आईडी	एनएसडीएल हेतु 8 कैरक्टर डीपी आईडी तथा उसके बाद 8 अंकोंवाला ग्राहक आईडी सीडीएसएल हेतु 16 अंकोंवाला हिताधिकारी आईडी	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर
पैन*	ई–वोटिंग करते समय जब आपका सिस्टम मांगता है, तब आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फा–न्यूमरिक 10 अंकोंवाला अपना पैन* दर्ज करें (डीमेट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक, दोनों के लिए लागू)	
डीओबी#	आपके डीमेट खाते में रिकार्ड किए अनुसार या कथित डीमेट खाते या फोलियो में कंपनी के रिकार्ड में दर्ज किए अनुसार जन्म की तारीख को प्रविष्ट करें।	
लाभांश बैंक विवरण #	आपके डीमेट खाते में या कथित डीमेट खाते या फोलियो के लिए कंपनी के रिकार्ड में दर्ज किए अनुसार लाभांश बैंक विवरण दर्ज करें।	

* जिन सदस्यों ने निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अपना पैन अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे डिफाल्ट नंबर का प्रयोग <Default number>, पैन फील्ड में करें।

\# लॉगइन करने हेतु कृपया किसी एक विवरण दर्ज करें।

vi. इन विवरणों को उपयुक्त ढंग से प्रविष्ट करने के बाद ''सब्मिट'' टैब को क्लिक करें।

vii. भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्य इसके बाद सीधे वोटिंग स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब ''पासवर्ड बदलने'' के मेनु में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लागइन पासवर्ड को बदलें। नये पासवर्ड में कम से कम 8 कैरक्टर हों जिसमें से एक ऊपरी केस (बडे अक्षर A से Z) में हो, एक निचले केस (छोटे अक्षर a से z) हों, एक अंक (0–9) हो और एक विशेष कैरक्टर हो (@#$%&*)। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग डीमैट धारकों द्वारा अन्य किसी भी कंपनी के संकल्पों के लिए वोट करने हेतु भी किया जाएगा, जहाँ वे वोट देने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफार्म के जरिए ई–वोटिंग का विकल्प उपलब्ध कराती है। हमारी सख्त सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड शेयर न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें। कृपया नोट करें कि इस परिवर्तित पासवर्ड का प्रयोग, डीमैट धारकों द्वारा इस कंपनी के या अन्य किसी कंपनी के, जहाँ वे मतदान देने के लिए पात्र हैं, संकल्पों के लिए मतदान देने में किया जाएगा, बशर्ते कि कंपनी सीडीएमएल प्लैटफार्म के जरिए ई–वोटिंग का विकल्प देती है।

viii. संबंधित ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिसमें मतदान देने का विकल्प आप रखते हैं।

ix. वोटिंग के पृष्ठ पर आप संकल्प का वर्णन पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु ''हाँ/नहीं'' का विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार हाँ या नहीं का चयन करें। हाँ विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और नहीं विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

x. आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो ''संकल्प फाइल लिंक'' पर क्लिक करें।

xi. आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद ''सब्मिट'' पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ''ओके'' (OK) पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो ''कैन्सल'' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।

xii. आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट ''पुष्टिकृत'' (CONFIRM) कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।

B. ईजीएम की नोटिस की भौतिक प्रति प्राप्त करनेवाले सदस्यों (ऐसे सदस्य जिनके ई–मेल आईडी, कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है/निक्षेपागार प्रतिभागी) या भौतिक प्रति के लिए अनुरोध करनेवाले सदस्यों के मामले में :–

(i) कृपया मतदान देने हेतु ऊपर क्रमांक (ii) से क्रमांक (xii) का अनुकरण करें।

C. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) से अपेक्षा की जाती है कि वे **https://www.evotingindia.com** में लाग ऑन करें और अपने को पंजीकृत करा लें, जिस खाते में वे नोट करना चाहते हैं, उसमें लिंक कर लें और अपना वोट दें। संवीक्षक द्वारा वोट का सत्यापन कर सकने के लिए वे सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में बोर्ड संकल्प की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करें।

D. ई–वोटिंग / पोल की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख / कट–आफ की तारीख बुधवार, जनवरी 24, 2018 होगी। वोटिंग की अवधि रविवार, जनवरी 28, 2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, जनवरी 30, 2018 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, जो भौतिक रूप से या अमूर्त रूप से बैंक के शेयर विनिर्दिष्ट तारीख / कट–ऑफ की तारीख को, अर्थात् जनवरी 24, 2018 को रखे हुए हैं, अपने वोट इलेक्ट्रानिक रूप से दे सकते हैं। उसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग माड्यूल को असमर्थित किया जाएगा। किसी संकल्प पर एक बार वोट देने के बाद शेयरधारक को उसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

E. यदि ई–वोटिंग के संबंध में आपको कोई प्रश्न या पूछताछ है, तो आप ''बार–बार पूछे जानेवाले प्रश्न'' (एफएक्यू) या **www.evotingindia.com** में उपलब्ध ई–वोटिंग अनुदेश पुस्तिका का संदर्भ लें या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** में हमें ई–मेल भेजें।

vii. बैठक में मतदान देना:

कार्यसूची मद पर मतदान, रिमोट ई–वोटिंग या असाधारण आम बैठक में वोटिंग द्वारा किया जाएगा। जिन्होंने ई–वोटिंग का विकल्प नहीं दिया है, वे असाधारण आम बैठक की तारीख को बैठक के स्थान पर आयोजित किए जानेवाले वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने और मतदान देने के हकदार होंगे।

कार्यसूची की मद पर विचार विमर्श करने के बाद अध्यक्ष, कार्यसूची की मद पर वोटिंग करने के आदेश देंगे। इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किये जानेवाले संवीक्षकों की निगरानी में वोटिंग आयोजित एवं संवीक्षित की जाएगी। विनिर्दिष्ट / कट–ऑफ की तारीख, अर्थात, बुधवार, जनवरी 24, 2018 को उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के समान वोट शेयरधारकों को मिलेगा।

वोटिंग के परिणामों को ई–वोटिंग के परिणामों के साथ जोडने के बाद वोटिंग के परिणाम बैंक की वेबसाइट में घोषित की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी इसकी सूचना दी जाएगी।

viii. मद सं. 1 के लिए स्पष्टीकरण विवरण :

बैंक, बैंकिंग और उससे संबंधित कारोबार कर रहा है। बैंक की प्राधिकृत पूंजी 3000 करोड रुपये हैं (तीन हजार करोड़ रुपये मात्र) और प्रदत्त ईक्विटी पूंजी 480.29 करोड़ रुपये है। वर्तमान में बैंक की ईक्विटी पूंजी में भारत सरकार की धारिता 81.87 प्रतिषत, अर्थात 393.24 करोड़ रुपये है।

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19ए में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, जिसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 के लागू होने की तारीख को (अर्थात अगस्त 22, 2014 को) पच्चीस प्रतिशत से कम की सार्वजनिक शेयरधारिता है, अगस्त 2018 की अवधि तक अपनी शेयरधारिता को सेबी द्वारा निर्धारित तरीके से कम से कम 25 प्रतिशत तक बढायेगी। आगे, वित्त मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि दिसंबर 2014 में केन्द्रीय मंत्री मंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा, बैंक की पूंजी की आवश्यकता, स्टॉक का निष्पादन, तरलता, बाजार में उसकी मांग आदि के आधार पर और पूंजी और संसाधनों के सुदक्ष प्रयोग के लिए मामले–दर–मामले के आधार पर चरणबद्ध तरीके से सरकार की धारिता को 52 प्रतिशत तक कम करते हुए फॉलो–अप पब्लिक ऑफर के जरिए या क्वालिफाइड संस्थागत प्लेसमेंट के जरिए पूंजी बढाने व प्राप्त करने के विषय को अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

तदनुसार सार्वजनिक धारिता को 25 प्रतिशत के न्यूनतम अपेक्षित स्तर तक बढ़ाने के लिए और वर्तमान बाजार की मांग को लिहाज में लेते हुए नोटिस की मद सं.1 में दर्शाए अनुसार असाधारण आम बैठक आयोजित करने की इस नोटिस में इसे विशेष संकल्प के रूप में अनुमोदित करने के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन का अनुरोध किया जाता है।

इश्यू की संप्राप्तियों का प्रयोग, बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति को अपने विकास योजनाओं को समर्थन देने के लिए तथा इश्यू के व्यय की पूर्ति करने सहित अन्य सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

बैंक के निदेशकों के मामले में माना जाएगा कि वे बैंक में अपनी शेयरधारिता के हद तक अपनी वैयक्तिक क्षमता में या भारत सरकार के नामिती के रूप में उसमें अभिरुचि रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : चेन्नै

दिनांक : दिसंबर 30, 2017

किशोर खरात

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवा कक्ष 254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारकों द्वारा भरकर हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फ़ोलियो संख्या		डीपी आईडी	
		क्लाइंट आईडी	
(यदि शेयर डीमेटीरियलाइज नहीं किये गए हो तो)		(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज किये गए हो तो)	

मैं / हम, ... राज्य के ..... ज़िले के ..... निवासी हैं, इंडियन बैंक का /के शेयरधारक होने के नाते एत् द्वारा श्री / श्रीमती ..... जो ..... राज्य के ..... जिले के ..... निवासी हैं, को या उनके द्वारा न हो पाने पर श्री / श्रीमती .... जो ..... राज्य के ..... जिले के ..... निवासी है, को बुधवार 31 जनवरी, 2018 को प्रातः 10.30 बजे इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028 में और उसके किसी स्थगन पर आयोजित की जानेवाली इंडियन बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में मेरे / हमारे प्रॉक्सी के रूप में मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए नियुक्त करता हूँ /करते हैं।

आज ..... दिनांक ..... 2018 को हस्ताक्षरित

कृपया 15 पैसे का राजस्व स्टेंप चिपकाएँ

....

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर प्रथम / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

.....

<u>प्रॉक्सी फ़ार्म पर हस्ताक्षर करने और उसे दायर करने के लिए अनुदेश</u>

1. प्रॉक्सी की कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक
   - ए.) वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में, शेयरधारक या उसके अटर्नी द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत नहीं किया जाता है ;
   - बी.) संयुक्तधारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक या उनके द्वारा लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है।
   - सी.) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।
2. प्रॉक्सी की लिखत किसी शेयरधारक द्वारा, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता/सकती है, तो यदि उसका चिह्न उस पर लगाया जाता है और किसी जज़ मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्यूरेंस सब–रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इंडियन बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तो उसे पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माना जाएगा।
3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि वह विधिवत् स्टांपित नहीं हो और निम्नलिखित पते पर कम से कम असाधारण आम बैठक की तारीख के चार दिन पहले मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकारी के साथ, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत वह हस्ताक्षरित हो या मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पहले ही जमा किया गया हो और बैंक के साथ पंजीकृत किया गया हो।

इंडियन बैंक कॉर्पोरेट कार्यालय निवेशक सेवा कक्ष, 254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा चेन्नै 600 014	केमियो कार्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड यूनिट : इंडियन बैंक सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600002

4. बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अप्रतिसंहरणीय और अंतिम होगी।
5. प्रॉक्सी का लिखत विकल्प के रूप में दो लोगों के पक्ष में दिए जाने के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे।
6. ऐसे शेयरधारक जिन्होंने प्रॉक्सी की लिखत निष्पादित की हो, उस वार्षिक आम बैठक से जिससे ऐसी लिखत संबंधित हो व्यक्तिगत रूप से वोट करने के लिए हकदार नहीं होगा।
7. कोई भी व्यक्ति जो इंडियन बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो, विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष 254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

उपस्थिति पर्ची

(स्थान में प्रवेश करते समय वापस किया जाए)

दिनांक : जनवरी 31, 2018
समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे
स्थान : इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै – 600028

पंजीकृत फोलियो सं. :		डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी :	
(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज नहीं किये गए हो तो)		(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज किये गए हो तो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

मैं, जनवरी 31, 2018 को इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै – 600028, में आयोजित बैंक की असाधारण आम बैठक में एतदद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष 254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

एंट्री पास

(बैठक के दौरान अपने पास ही रखा जाए)

दिनांक : जनवरी 31, 2018
समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे
स्थान : इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै – 600028

पंजीकृत फोलियो :		डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी :	
(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज नहीं किये गए हो)		(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज किए गए हो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

स्थान में प्रवेश हेतु, शेयरधारकों/प्राक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत हस्ताक्षर करके, एंट्री पास के साथ प्रस्तुत करें। फिर भी, प्रवेश सत्यापन/जाँच के अध्यधीन होगा जैसा आवश्यक माना जाए। किसी भी स्थिति में बैठक हाल के प्रवेश द्वार पर कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची सह एंट्री पास जारी नहीं किया जाएगा.....

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष 254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

(बेलेट पत्र जारी किए जाने हेतु पोलिंग काउंटर में सौंप दिया जाए)

पंजीकृत फोलियो :		डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी :	
(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज नहीं किये गए हो तो)		(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज किए गए हो तो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक / प्राक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

Head Office : 66, Rajaji Salai, Chennai-600 001.

Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014.

NOTICE

NOTICE is hereby given that an **Extraordinary General Meeting** of the Shareholders of **Indian Bank** will be held on **Wednesday, the January 31, 2018 at 10.30 a.m. at IMAGE Auditorium, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028** to transact the following business:

1. To approve raising equity capital upto Rs.7,000 Crore (including premium) in one or more tranches in the current or subsequent financial years based on the requirement through FPO / Private Placement / QIP / Rights Issue / Preferential issue / Institutional Placement Programme to be decided by the Bank, under Section 3 (2B) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980, by passing the following resolution as Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**"Act"**), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**"Scheme"**) and the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 (**"Regulations"**), Indian Bank General Amendment Regulations 2003 as amended and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**"RBI"**), the Government of India (**"GOI"**), the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (**"ICDR Regulations"**), as amended upto date / guidelines, if any, prescribed by the SEBI, RBI, notifications / circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 Foreign Exchange Management (Transfer of Issue of Security by a person Resident Outside India) Regulations, 2017, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and / or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus, draft red herring prospects, red herring prospects, preliminary placement document, placement document, draft letter of offer, letter of offer, private placement letter or such other document, in India or abroad through Further Public Offer / Private Placement / Qualified Institutional Placement / Rights Issue / Preferential issue / Institutional Placement Programme to be decided by the Bank, such number of equity shares of the face value of Rs.10/- each whether at a discount or premium upto Rs. 7000 Crore (Rupees Seven thousand Crore only) in one or more tranches in current or subsequent financial years which together with the existing Paid-up Equity share capital of Rs.480.29 Crore shall be within

the total Authorized Captial of the Bank of Rs.3000 Crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, provided that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity Capital of the Bank, to one or more of the members, employees of the Bank, Individuals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs") / Foreign Portfolio Investors (FPIs), Banks, Financial Institutions, Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations / guidelines or any combination of the aforementioned methods as may be deemed appropriate by the Bank".

"**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of Public Issue, Rights Issue, Qualified Institutional Placement or private placement, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to issue shares to investors at such price or prices (including discounts as applicable) in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and / or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and/ or all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"**RESOLVED FURTHER THAT** in case of a QIP made pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed with 12 months from the date of passing of this Resolutions".

"**RESOLVED FURTHER THAT** in case of a QIP issue, the Bank in pursuance to provision to Regulation 85(1) of ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount as prescribed by ICDR Regulations from time to time and relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

"**RESOLVED FURTHER THAT** subject to any approval, consent, permission and / or sanction of RBI, GOI, SEBI and Stock Exchanges, as may be required and subject to all other necessary approvals, permissions, consents and / or sanctions of concerned statutory and other relevant authorities and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by any of them while granting such approvals, permissions, consents and sanctions and which may be agreed to by the Board, consent, authority and approval is hereby accorded to the Board to create, offer, issue and allot equity shares of face value of Rs.10/- each by way of fresh issue of equity shares through an Institutional Placement Programme (IPP) to Qualified Institutional Buyers in accordance with Chapter VIIIA of the SEBI ICDR Regulations, such that the total number of equity shares held by the public (as defined in the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended), immediately at the completion of such offerings does not exceed 25% of the total number of outstanding equity shares as at the date of allotment of such securities, including *pari passu* clause for dividend entitlement, as may be applicable".

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank".

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign entities be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, Indian Bank General Amendment Regulations 2003 as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board as the Board in its absolute discretion deems fit".

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such intermediaries / agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue of equity shares and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit".

"**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors or to Capital Raising Committee constituted / hereafter constitute to give effect to the aforesaid Resolutions."

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai
Date : December 30, 2017

Kishor Kharat
Managing Director & CEO

NOTES

i. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

ii. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The Proxy Form, in order to be effective, must be received at the Corporate Office of the Bank not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Thursday, the January 25, 2018.

iii. APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him / her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Bank, Investor Services Cell, Wing 2-C, 2nd Floor, No.254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Thursday, the January 25, 2018.

iv. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS:

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as “Proxy” or “Authorized Representative” as the case may be. Such Entry Passes shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

v. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off date i.e, on Wednesday, the January 24, 2018 will be entitled to participate and to vote in the e-Voting or poll at the Extraordinary General Meeting and shall have one vote for each share held by him / her.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then **first named person is only entitled to attend the meeting and eligible to vote in the meeting**.

vi. E-Voting

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an alternative in respect of Agenda Item, for all members of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the resolution mentioned in the notice of Extraordinary General Meeting of the Bank dated Saturday, the December 30, 2017 (the EGM Notice). The Bank has appointed M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, Thane as the Scrutinizer for conducting the e-Voting process in a fair and transparent manner. E-Voting is optional.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) is 171227007

A . In case of members receiving e-mail:

i) If you are holding shares in Demat form and had logged on to **www.evotingindia.com** and casted your vote earlier for EVSN of any Company, then your existing login id and password are to be used.

ii) Log on to the e-voting website **www.evotingindia.com.**

iii) Click on “Shareholders" tab to cast your votes.

iv) Now, select the Electronic Voting Sequence Number-“EVSN" along with “COMPANY NAME" from the drop down menu and click on “SUBMIT"

v) Now, fill up the following details in the appropriate boxes:

	For Members holding shares in Demat Form	For Members holding shares in Physical Form
User ID	For NSDL : 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID For CDSL : 16 Digits beneficiary ID	Folio Number registered with the Company
PAN*	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department when prompted by the system while e-Voting (applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders).	
DOB#	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.	
Dividend Bank Details#	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.	

* Members who have not updated their PAN with the Company / Depository Participant are requested to use the default number: <Default Number> in the PAN field.

Please enter any one of the details in order to login.

vi) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT" tab.

vii) Members holding shares in physical form will then reach directly to the voting screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Change' menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character(@ # $ %& *). Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Kindly note that this changed password is to be also used by the Demat holders for voting for resolutions for the Company or any other Company on which they are eligible to vote, provided that Company opts for e-voting through CDSL platform.

viii) Click on the relevant EVSN on which you choose to vote.

ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

x) Click on the "Resolutions File Link" if you wish to view the entire Resolutions.

xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

B. In case of members receiving the physical copy of Notice of EGM [for members whose e-mail IDs are not registered with the company / depository participant(s) or requesting physical copy]:

i. Please follow all steps from sl. no. (ii) to sl. no. (xii) above, to cast vote.

C. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to **https://www.evotingindia.com** and register themselves, link their account which they wish to vote on and then cast their vote. They should upload a scanned copy of the Board Resolution in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the vote.

D. The cut-off date to ascertain the shareholders eligible to participate in the e-Voting / poll process in the Extraordinary General Meeting is Wednesday, the January 24, 2018. The voting period starts from 10.00 a.m. on Sunday, the January 28, 2018 and ends at 5.00 p.m. on Tuesday, the January 30, 2018. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of January 24, 2018, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once shareholder has cast his / her vote on the resolution, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

E. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com.**

vii) Voting at the Meeting:

The voting for the agenda item shall be done by remote e-Voting or by voting at the Extraordinary General Meeting. Those who have not exercised the option of e-voting shall be entitled to participate and vote at the voting to be conducted at the venue of the Extraordinary General Meeting on the date of the meeting.

After the agenda item has been discussed, the Chairman will order voting in respect of the agenda item. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the cut-off date i.e. Wednesday, the January 24, 2018.

The results of the voting aggregated with the results of e-Voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

viii) EXPLANATORY STATEMENT TO No.1:

The Bank is in the business of the banking and its related activities. The Authorized Capital of the Bank is Rs.3000 crore (Rupees three thousand crore only) and Paid-up Equity Capital is Rs.480.29 crore. Presently, Government of India's holding in Bank's Equity Capital stands at 81.87% i.e. Rs.393.24 crore.

As per SEBI guidelines, Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 provides that every listed public sector company which has public shareholding below twenty five per cent, on the date of commencement of the Securities Contracts (Regulation) (Second Amendment) Rules, 2014 (i.e. August 22, 2014), shall increase its public shareholding to at least 25% within a period up to August 2018 in the manner, as may be specified by SEBI. Further, Ministry of Finance had also informed that Union Cabinet had in December 2014 approved the proposal for allowing Public Sector Banks to raise capital from public through Follow-on Public Offer or Qualified Institutional Placement by diluting Government holding upto 52% in phased manner based on Bank's capital requirement, stock performance, liquidity, market appetite and subject to such conditions that may be prescribed for efficient use of capital and resources, on case to case basis.

Accordingly, in order to enhance the public holding to minimum required level of 25 per cent and taking into account the present market appetite, approval of the shareholders of the Bank is sought to the Resolution as indicated in item No.1 of the Notice convening the Extraordinary General Meeting, as a Special Resolution.

The Issue proceeds will be utilized to meet the capital requirements of the Bank to support its growth plans and for other general corporate purposes including meeting the expenses of the Issue.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai
Date : December 30, 2017

Kishor Kharat
Managing Director & CEO

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014.

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	

I / We …….resident/s of …….. in the district of …….....…… in the state of ..... being a shareholder / shareholders of the Indian Bank, hereby appoint Shri / Smt …….....…… resident of ……. in the district of ……..... in the state of …… or failing him / her, Shri / Smt ……. resident of …… in the district of …… in the state of …… as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the **Extraordinary General Meeting** of the Shareholders of the **INDIAN BANK** to be held on Wednesday, the January 31, 2018 at 10.30 a.m. at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028 and at any adjournment thereof.

Signed this……day of……2018

Please affix
15 paise
Revenue
Stamp

_____

Signature of Proxy **Signature of first named / Sole shareholder**

Name _____

Address _____

_____

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him / her or his / her attorney, duly authorized in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorized in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Bank.
3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting, together with Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

Indian Bank Corporate Office, Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah Chennai - 600 014.	Cameo Corporate Services Limited Unit : Indian Bank Subramanian Building 1, Club House Road Chennai - 600 002.

4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of INDIAN BANK.

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014.

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date : January 31, 2018
Time : 10.30 a.m.
Place : IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai-600 028.

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

I hereby record my presence at the **Extraordinary General Meeting of the Bank held on January 31, 2018 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai-600 028.**

Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative	

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014.

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : January 31, 2018
Time : 10.30 a.m.
Place : IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai-600 028.

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			

Shareholders / proxy holders / authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting hall

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014.

(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			